



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

Chanakya National Law University Campus, Patna-800001
E-mail: akunlv10@gmail.com

पत्रांक:—003/Admn/091/AKU/2012 (Vol. II)- 2707

दिनांक: 21-06-2017

प्रेषक:

कुलसचिव,
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

सेवा में,

प्राचार्य,
मैत्रेया कॉलेज ऑफ एडुकेशन एण्ड मैनेजमेंट
ई०पी०आई०पी० कैम्पस, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर,
वैशाली, बिहार – 844102

विषय: शैक्षणिक सत्र 2017-18 के सम्बद्धन विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे:—

1. दिनांक 26-05-2017 को किये गये निरीक्षण के आधार पर आपके महाविद्यालय में विभिन्न कमियाँ पायी गयी है (निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न)।
2. विश्वविद्यालय की Affiliation & New Teaching Programme Committee की 46वीं बैठक एवं Board of Affiliation की 21वीं बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया।
3. विश्वविद्यालय की Affiliation & New Teaching Programme Committee की 46वीं बैठक के निर्णय के आलोक में आपको विश्वविद्यालय की पत्रांक 2490 दिनांक 06.06.2017 द्वारा पायी गयी कमियों को दूर करने का निदेश दिया गया।
4. आपको निदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित कमियों को पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर दूर किया जाना सुनिश्चित करें:—
 - i. Vacant Post of four teachers should be filled.
5. साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन में अन्य उल्लेखित कमियों को भी दूर यथाशीघ्र किया जाय।
6. कमियाँ दूर करने से संबंधित एक शपथ-पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
7. आपके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरीक्षण किसी भी दिन किया जा सकता है।
8. कडिका 6 में वर्णित कमियों को दूर करने की प्रत्याशा में आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2017-18 का सम्बद्धन विस्तार किया जाता है।

Aheta
21.06.17

Contd....



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय
ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA


Chanakya National Law University Campus, Patna-800001

E-mail: akuniv10@gmail.com

9. कंडिका 10 के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के सम्बद्धन विस्तार के लिए सम्बद्धन शुल्क ₹40000/- (चालिस हजार रूपये) प्रति यूनिट अर्थात् कुल राशि ₹80000/- (अस्सी हजार रूपये) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
10. यह सम्बद्धन विस्तार विश्वविद्यालय की 'सभा' एवं बिहार सरकार की अनुमोदन की प्रत्याशा में किया जाता है।
11. छात्रों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा।
12. वर्णित कमियों को दूर नहीं किये जाने की स्थिति में आपका सम्बद्धन रद्द किया जा सकता है।

अनु०: यथोक्त।

विश्वासभाजन


कुलसचिव 21.06.17

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना